न्यायालय–सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंता, जिला बारां राज.

पीठासीन अधिकारी	:	सिद्धान्त शर्मा, आर.जे.एस.
नियमित फौजदारी प्रकरण संख्या	:	196/2021
सी.आई.एस. नंबर	:	193/2021
सी.एन.आर. नंबर	:	**RJBR110003752021**
निर्णय दिनांक	:	06.05.2026

अपराध अर्न्तगत धारा 457, 380 भारतीय दण्ड संहिता

PART-I
(A)

परिवादी	राजस्थान राज्य सरकार
प्रतिनिधित्व द्वारा	विद्वान अभियोजन अधिकारी, राजस्थान राज्य सरकार की ओर से उपस्थित।
अभियुक्त	सुरेंद्र उर्फ भूरिया पुत्र धनराज, आयु 29 वर्ष, निवासी मौजा जयनगर, अंता, तहसील अंता, पुलिस थाना अंता, जिला बारां राज. .... अभियुक्त
प्रतिनिधित्व द्वारा	तालुका विधिक सेवा समिति की ओर से नियुक्त विद्वान अधिवक्ता श्री पुरूषोत्तम बिसारती, अभियुक्त की ओर से उपस्थित।

(B)

अपराध की दिनांक	30.05.2021
एफ.आई.आर. की दिनांक	30.05.2021
आरोप पत्र प्रस्तुत किये जाने की दिनांक	02.08.2021
आरोप पृथक् से विरचित किये जाने की दिनांक	अभियुक्त सुरेंद्र उर्फ भूरिया, दिनांक 15.09.2021
सुनवायी की दिनांक	28.09.2021
निर्णय के लिये निर्धारित दिनांक	06.05.2026
निर्णय सुनाये जाने की दिनांक	06.05.2026
दंडादेश, यदि हो तो –	–

(C)
अभियुक्त/अभियुक्तगण का विवरण

कम संख्या	अभियुक्त का नाम	प्रथम गिरफ्तारी दिनांक	प्रथम बार जमानत पर बाहर आने की दिनांक	आरोपित अपराध	दोषसिद्ध या दोषमुक्त	दंडादेश या परिवीक्षा अधिनियम के संबंध में पारित आदेश का विवरण	अभिरक्षा में बितायी अवधि
1.	सुरेंद्र उर्फ भूरिया	04.06.2021	15.11.2021	457, 380 भारतीय दण्ड संहिता	दोषसिद्ध	निर्णय की मद संख्या 31. में वर्णित	325 दिवस

PART-II
साक्षियों की सूची :– अभियोजन साक्षी/बचाव साक्षी/न्यायालय साक्षी

(A) अभियोजन साक्षी –

कम संख्या	साक्षी का नाम	साक्षी की प्रकृति
1.	लक्ष्मीनारायण	ताईद प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का गवाह
2.	मोहम्मद इकबाल	तहरीरी रिपोर्ट पेश करने का, तस्दीकशुदा घटनास्थल नक्शा मौका का एवं धारा 161 सीआर.पी.सी. का गवाह
3.	मोहम्मद इरफान	तस्दीकशुदा घटनास्थल नक्शा मौका का एवं धारा 161 सीआर.पी.सी. का गवाह
4.	मोहम्मद कलीम	तस्दीकशुदा घटनास्थल नक्शा मौका का एवं धारा 161 सीआर.पी.सी. का गवाह
5.	दीवान सिंह	माल जमा मालखाना का गवाह
6.	बदन सिंह	फर्द जप्ती एवं बरामदगी सोयाबीन के छः कट्टों का एवं बरामदगीस्थल का नक्शा मौका का गवाह
7.	भगवान सिंह	हालात तफ्तीश एवं अनुसंधान का गवाह

(B) बचाव साक्षी –

RANK	NAME	साक्षी की प्रकृति (EYE WITNESS, POLICE WITNESS, EXPERT WITNESS, MEDICAL WITNESS, PANCH WITNESS, OTHER WITNESS)
-	-	-

(C) न्यायालय साक्षी –

RANK	NAME	साक्षी की प्रकृति (EYE WITNESS, POLICE WITNESS, EXPERT WITNESS, MEDICAL WITNESS, PANCH WITNESS, OTHER WITNESS)
-	-	-

प्रदर्शित दस्तावेजात की सूची : अभियोजन प्रदर्श/बचाव प्रदर्श/ न्यायालय प्रदर्श

(A) अभियोजन प्रदर्श –

कम संख्या	प्रदर्श संख्या मय साक्षी द्वारा प्रदर्शित	वर्णन
01.	प्रदर्श पी. 1	फर्द बरामदगी एवं जप्ती सोयाबीन के छः भरे कट्टे प्रदर्श पी. 1
02.	प्रदर्श पी. 2	फर्द तस्दीक बरामदगीस्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी. 2
03.	प्रदर्श पी. 3	हस्तलिखित तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी. 3
04.	प्रदर्श पी. 4	चाक एफ.आई.आर. प्रदर्श पी. 4
05.	प्रदर्श पी. 5	फर्द नक्शा मौका निरीक्षण घटनास्थल प्रदर्श पी. 5
06.	प्रदर्श पी. 6	मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी. 6ए
07.	प्रदर्श पी. 7	फर्द गिरफ्तारी एवं जामा तलाशी अभियुक्त सुरेंद्र प्रदर्श पी. 7
08.	प्रदर्श पी. 8	अभियुक्त सुरेंद्र द्वारा दी गयी धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की इत्तला प्रदर्श पी. 8

(B) बचाव प्रदर्श –

कम संख्या	प्रदर्श संख्या मय साक्षी द्वारा प्रदर्शित	वर्णन
01.	–	–

(C) न्यायालय प्रदर्श –

कम संख्या	प्रदर्श संख्या मय साक्षी द्वारा प्रदर्शित	वर्णन
– निल –		

(D) सारवान वस्तु एवं मालखाना –

कम संख्या	सारवान वस्तु एवं मालखाना का कमांक	वर्णन	मालखाना रजिस्टर कमांक एवं वर्णन
– निल –			

:: निर्णय ::

दिनांकः–06.05.2026

1. प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि 'दिनांक 30.05.2021 को परिवादी मोहम्मद इरफान पुत्र अब्दुल रजाक, निवासी वार्ड नम्बर 15, स्टेशन रोड, मस्जिद के पास, अंता, जिला बारां राज. ने उपस्थित पुलिस थाना अंता होकर एक तहरीरी रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि उसका गोदाम सहकारी पम्प के सामने स्थित है, जिसमें सोयाबीन एवं लहसुन रखी हुयी थी, जिसमें

4–5 दिन से उसके गोदाम से सोयाबीन एवं लहसुन चोरी हो रही थी। उक्त दिनांक को, सुबह चार बजे करीब, उसने सी.सी.टी.वी. कैमरा में एक व्यक्ति उसके गोदाम में घुसता हुआ नजर आया, जो दिन में बाजार में घुसता हुआ दिखाई देता है, जिसका नाम सरेन्द्र पुत्र धनराज, निवासी जयनगर, अंता, जिला बारां राज. का है। वह, जब तक मोहम्मद कुलीम और मोहम्मद इरफान को साथ लेकर आया, तब तक उक्त व्यक्ति, उसके गोदाम से सोयाबीन लेकर चला गया। उसके गोदाम में, आठ कट्टे सोयाबीन एवं लहसुन के चोरी हो गये। उसके सभी कट्टों पर, हरे रंग से AAA लिखा हुआ है। कार्यवाही की जावें।' इत्यादि

2. उक्त तहरीरी रिपोर्ट के आधार पर, पुलिस थाना अंता, जिला बारां राज. द्वारा उक्त प्रकरण में, मुकदमा नंबर 228/2021, अंतर्गत धारा 457, 380 भारतीय दण्ड संहिता में दर्ज कर तफ्तीश प्रांरभ की गई। बाद तफ्तीश, पुलिस थाना अंता द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध धारा 457, 380 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर आरोप पत्र, न्यायालय में पेश किया गया, जिस पर अभियुक्त के विरूद्ध धारा 457, 380 भारतीय दण्ड संहिता में, इस न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया जाकर, प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

3. तत्पश्चात् बहस आरोप सुनी गयी। अभियुक्त को अंतर्गत धारा 457, 380 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया एवं समझाया गया तो अभियुक्त ने आरोपों को सुन समझकर, आरोपों से इंकार कर अन्वीक्षा चाही।

4. अभियोजन पक्ष की ओर से, साक्ष्य अभियोजन में गवाहान पी.डब्ल्यू.–1 लक्ष्मीनारायण, पी.डब्ल्यू.–2 मोहम्मद इकबाल, पी.डब्ल्यू.–3 मोहम्मद इरफान, पी. डब्ल्यू.–4 मोहम्मद कलीम, पी.डब्ल्यू.–5 दीवान सिंह, पी.डब्ल्यू.–6 बदन सिंह, पी. डब्ल्यू.–7 भगवान सिंह को न्यायालय समक्ष पेश कर परीक्षित कराया गया तथा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में, फर्द बरामदगी एवं जप्ती सोयाबीन के छः भरे कट्टे प्रदर्श पी. 1, फर्द तस्दीक बरामदगीस्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी. 2, हस्तलिखित तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी. 3, चाक एफ.आई.आर. प्रदर्श पी. 4, फर्द नक्शा मौका निरीक्षण घटनास्थल प्रदर्श पी. 5, मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी. 6ए, फर्द गिरफ्तारी एवं जामा तलाशी अभियुक्त सुरेंद्र प्रदर्श पी. 7, अभियुक्त सुरेंद्र द्वारा दी गयी धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की इत्तला प्रदर्श पी. 8 को प्रदर्शित कराया गया।

5. तत्पश्चात अभियुक्त के कथन अंतर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत लेखबद्ध किये गये। अभियुक्त ने अपने विरूद्ध आयी साक्ष्य को गलत होना बताते हुए स्वयं को निर्दोष होना एवं झूठा फंसाया जाना कथन किया एवं साक्ष्य सफाई पेश करना नहीं चाहा, तत्पश्चात् साक्ष्य सफाई समाप्त की गयी।

6. बहस अंतिम सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

7. **प्रकरण के निस्तारण हेतु विचारणीय बिन्दु निम्न प्रकार है :–**

1. क्या अभियुक्त सुरेंद्र उर्फ भूरिया द्वारा दिनांक 28.05.2021 को दिन में किसी समय पर, स्थान बारां–कोटा रोड पर, सहकारी पैट्रोल पम्प के पास, परिवादी मोहम्मद इकबाल के गोदाम में कारावास से दंडनीय अपराध कारित करने के आशय से, अपनी उपस्थिति छिपाते

हुये, अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर, गृह अतिचार या गृह भेदन कर, परिवादी मोहम्मद इकबाल के गोदाम में रखे सोयाबीन एवं लहसुन के कट्टों में से, आठ कट्टे सोयाबीन एवं लहसुन को, परिवादी की अनुमति के बिना बेईमानीपूर्ण आशय से ले जाकर, चोरी का अपराध कारित कर, भारतीय दंड संहिता की धारा 457, 380 के अधीन दंडनीय अपराध कारित किया गया ?

2. यदि हॉ, तो अभियुक्त के विरूद्ध उचित दंड क्या होगा ?

8. उपरोक्त अवधार्य बिन्दु के संबंध में, प्रकरण में दौराने बहस विद्वान अभियोजन अधिकारी का यह कथन रहा है कि प्रकरण में अभियोजन कहानी से अभियुक्त के विरूद्ध अपराध पूर्णतया साबित है। प्रकरण में गवाहान के कथनों में कोई महत्वपूर्ण विरोधाभास नहीं है। प्रकरण में सभी गवाहान ने अभियोजन कहानी की पुष्टि की है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध में, दोषसिद्ध घोषित किये जाने का निवेदन किया।

9. अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा, अभियोजन अधिकारी के तर्कों का खंडन करते हुये, इसके विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का मुख्यतः यह कथन रहा है कि प्रकरण वर्ष 2021 से लंबित है। अभियुक्त पिछले पॉच वर्षों से अन्वीक्षा भुगत रहा है। प्रकरण में परिवादी तथा परीक्षित अन्य गवाहान के द्वारा भी, अभियोजन कहानी की लेशमात्र ताईद नहीं की गयी है। प्रकरण में परिवादी पक्ष द्वारा द्वेष में आकर, उक्त प्रकरण झूठा दर्ज करवाया गया है। प्रकरण में गवाहान के बयानों में परस्पर विरोधाभास है। प्रकरण में घटना का कोई चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है। किसी भी गवाह ने, अभियुक्त को चोरी करते हुये नहीं देखा है। प्रकरण में किसी भी गवाह के बयान से अपराध प्रमाणित नहीं है। प्रकरण में अभियोजन, अपनी दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से, अभियुक्त के विरूद्ध, आरोपित अपराध को, युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त को सन्देह का लाभ दिया जाकर, दोषमुक्त घोषित किया जावें।

10. बहस अन्तिम सुनी गई। निर्णयार्थ पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपरोक्त अवधार्य बिन्दु के संबंध में विवेचन निम्न प्रकार है :–

11. अभियोजन वृतांत के अनुसार, अभियुक्त सुरेंद्र उर्फ भूरिया द्वारा, दिनांक 28.05.2021 को दिन में किसी समय पर, स्थान बारां–कोटा रोड पर, सहकारी पैट्रोल पम्प के पास, परिवादी मोहम्मद इकबाल के गोदाम में कारावास से दंडनीय अपराध कारित करने के आशय से, अपनी उपस्थिति छिपाते हुये, अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर, गृह अतिचार या गृह भेदन कर, परिवादी मोहम्मद इकबाल के गोदाम में रखे सोयाबीन एवं लहसुन के कट्टों में से, आठ कट्टे सोयाबीन एवं लहसुन को, परिवादी की अनुमति के बिना बेईमानीपूर्ण आशय से ले जाकर, चोरी का अपराध कारित कर, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 457, 380 के अधीन दण्डनीय अपराध कारित किया गया।

12. उपरोक्त अभियोजन वृतांत को साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पर है। जहां कि, प्रकरण में अभियोजन पक्ष द्वारा अपने समर्थन में कुल 06 गवाहान को न्यायालय समक्ष पेश कर परीक्षित कराया गया है। प्रकरण में अभियोजन द्वारा परिवादी मोहम्मद इकबाल को गवाह पी.ड. 02 के रूप में न्यायालय समक्ष परीक्षित कराया गया है, जहां कि, गवाह ने अभियोजन वृतांत का समर्थन करते हुये न्यायालय समक्ष, अपने बयानों में कथन किया है कि वह अंता का रहने

वाला है। यह बात वर्ष 2021 की है। उसका गोदाम, बमोरी पैट्रोल पंप के सामने है, जिसमें उसने सोयाबीन और लहसुन की फसल रखी हुई थी। उसके गोदाम में तीन चार दिन से चोरी हो रही थी तो उसने वहॉ सी.सी.टी.वी. कैमरे लगवाकर, मोबाईल से कनेक्ट किया था, फिर गोदाम में देखा कि करीब तीन चार बजे, गोदाम के दीवार से कूदता हुआ नजर आया तो वह, यह देखकर मौके पर पहुॅचा तो उसने देखा कि वह व्यक्ति अंदर ही था। उसने, उस व्यक्ति का नाम पूछा, तो उसने अपना नाम सुरेन्द्र बताया था। उसके साथ, उसका भाई इरफान और उसका लड़का मोहम्मद कलीम भी गया था। उस समय, उस व्यक्ति ने सोयाबीन के करीब आठ कट्टे निकाल लिये थे, उसने पुलिस को बुलाया और उस व्यक्ति को गिरफ्तार करवाया था। इस बात की उसने पुलिस थाना अंता में रिपोर्ट दर्ज करवायी थी। उसने चोरी हुई सोयाबीन को सुपुर्दगी में प्राप्त कर लिया है, जो उसे पूरी नहीं मिली है। गवाह द्वारा, प्रकरण में दर्ज हस्तलिखित तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी. 03, प्रकरण में दर्ज चाक एफ.आई.आर. प्रदर्श पी. 04, प्रकरण में घटनास्थल के संबंध में तैयार, फर्द घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी. 05 की भी ताईद की गयी है।

दौराने जिरह गवाह ने कथन किया है कि सोयाबीन, बाजार में आसानी से मिल जाती है। रिपोर्ट, उसने स्वयं ने की थी। **पुलिस वालों ने, अभियुक्त को मौके पर ही पकड़ा था।** पुलिस वालों ने, मौका मुआयना पर अगले दिन हस्ताक्षर करवाये थे। उसने प्रदर्श पी. 03 पर हस्ताक्षर, घटना के आठ दस दिन बाद किये थे।

13. प्रकरण में परिवादी के बयानों का समर्थन, गवाहान पी.ड. 03 मोहम्मद इरफान एवं पी.ड. 04 मोहम्मद कलीम द्वारा भी किया गया है। प्रकरण में अभियोजन द्वारा गवाह मोहम्मद इरफान को पी.ड. 03 के रूप में न्यायालय समक्ष परीक्षित कराया गया है, जहां कि, गवाह ने न्यायालय समक्ष कथन किया है कि वह अंता का रहने वाला है। यह बात वर्ष 2021 की है। गोदाम सरकारी पैट्रोल पंप के सामने है, जिसमें सोयाबीन और लहसुन की फसल रखी हुई थी। गोदाम में से तीन चार दिन से चोरी हो रही थी, फिर गोदाम पर सी.सी.टी.वी. कैमरे लगवाये थे। कैमरे लगाने के बाद, उसने, कैमरे में चैक किया तो लगभग रात के चार पॉच बजे, दीवार को कूदकर, गोदाम के अंदर जाते हुये कोई व्यक्ति नजर आया था, तो वह, मोहम्मद इकबाल और मोहम्मद कलीम, गोदाम पर पहुॅचें और उस व्यक्ति को गोदाम पर पकड़ लिया था और उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम सुरेन्द्र बताया था, फिर उसने, पुलिस को बुलाया था, पुलिस ने उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया था और थाने पर ले गयी थी। इस बात की उसके बड़े भाई मोहम्मद इकबाल ने रिपोर्ट दर्ज करवायी थी। गवाह द्वारा, प्रकरण में घटनास्थल के संबंध में तैयार, फर्द घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी. 05 की ताईद की गयी है।

दौराने जिरह गवाह ने कथन किया है कि वह, वक्त घटना, मौके पर मौजूद नहीं था। नक्शा मौका पर लिखापढ़ी, उसके सामने हुयी थी।

14. प्रकरण में अभियोजन द्वारा गवाह मोहम्मद कलीम को पी.ड. 04 के रूप में न्यायालय समक्ष परीक्षित कराया गया है, जहां कि, गवाह ने न्यायालय समक्ष कथन किया है कि वह अंता का रहने वाला है। यह बात वर्ष 2021 की है। गोदाम सरकारी पैट्रोल पंप के सामने है, जिसमें सोयाबीन और लहसुन की फसल रखी हुई थी। गोदाम में से तीन चार दिन से चोरी हो रही थी तो उसने

देखा कि गोदाम में सोयाबीन बिखरा हुआ था, इस आधार पर, उसने सी.सी.टी.वी. कैमरे लगवाये थे, कैमरे लगाने के बाद, उसने कैमरे में चैक किया तो लगभग रात के चार पॉच बजे, दीवार को कूदकर, गोदाम में अंदर जाते हुये कोई व्यक्ति नजर आया था, तो वह, मोहम्मद इकबाल और मोहम्मद इरफान, गोदाम पर पहुॅचें और उस व्यक्ति को गोदाम पर पकड़ लिया था, उसने दीवार पर कट्टा रख रखा था और उसने अपना नाम सुरेन्द्र बताया था, फिर उसने, पुलिस को बुलाया था। पुलिस ने उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया था और थाने पर ले गयी थी। इस बात की उसके पिताजी मोहम्मद इकबाल ने रिपोर्ट दर्ज करवायी थी। गवाह द्वारा, प्रकरण में घटनास्थल के संबंध में तैयार, फर्द घ टनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी. 05 की ताईद की गयी है।

दौराने जिरह गवाह ने कथन किया है कि वक्त घटना, वह, घर पर ही था। पुलिस वालों ने उसे, घटना के अगले दिन जॉच के लिये बुलाया था। अधिक समय हो जाने के कारण, वह, अभियुक्त को पहचान नहीं सकता है।

15. हस्तगत प्रकरण में, अभियोजन पक्ष द्वारा, अभियुक्त के विरूद्ध अपराध का मुख्य आधार, अभियुक्त पक्ष द्वारा दौराने अनुसंधान, अनुसंधान अधिकारी को दी गयी धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की इत्तला एवं उक्त इत्तला के आधार पर हुयी बरामदगी, को बनाया गया है। इस संबंध में, प्रकरण में अभियोजन द्व ारा, प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी भगवान सिंह को गवाह पी.ड. 07 के रूप में न्यायालय समक्ष परीक्षित कराया गया है, जो कि दिनांक 30.05.2021 को पुलिस थाना अंता में सहायक उप निरीक्षक के पद पर कार्यरत था। उक्त गवाह ने, प्रकरण में उसके द्वारा, किये गये अनुसंधान के संबंध में, न्यायालय समक्ष कथन किया है कि उस दिन एस.एच.ओ. लक्ष्मीचंद द्वारा, उसे मुकदमा नम्बर 228/2021, अंतर्गत धारा 457, 380 भारतीय दंड संहिता की पत्रावली अनुसंधान हेतु उसे सुपुर्द की थी। गवाह द्वारा, प्रकरण में फरियादी एवं गवाहान की उपस्थिति में, घटनास्थल का नक्शा मौका मुर्तिब किया गया था। गवाह द्वारा, प्रकरण में घटनास्थल के संबंध में तैयार, फर्द घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी. 05 की ताईद की गयी है। दौराने अनुसंधान, गवाहान के बयान, उनके कथनानुसार लेखबद्ध किये गये थे। गवाह द्वारा, प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध उक्त धारा का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर, अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया था, जिसकी फर्द गिरफतारी प्रदर्श पी. 07 है, जिसकी ताईद गवाह द्वारा की गयी है। दौराने अनुसंधान, गवाह को, अभियुक्त सुरेन्द्र द्वारा, धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की इत्तला दी गयी थी कि 'मैनें सोयाबीन के छः कट्टे, बमोरी वाली खाल के किनारे, झाड़ियों मे छुपाकर रख रखे थे, जिसको मैं आगे आगे चलकर बता सकता हॅू।' अभियुक्त द्वारा दी गयी फर्द इत्तला धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, प्रदर्श पी 08 है, जिसकी ताईद गवाह द्वारा की गयी है। उक्त इत्तला पर, अभियुक्त सुरेन्द्र उर्फ भूरिया के साथ जाकर, गवाहान लक्ष्मीनारायण, कानिस्टेबल एवं बदन सिंह, कानिस्टेबल की उपस्थिति में बमोरी वाली खाल के किनारे की झड़ियो में से अभियुक्त की निशादेही से सोयाबीन के छः कट्टे जप्त किये थे, जिनको शील्ड मोहर कर मार्क ए, मार्क बी, मार्क सी, मार्क डी, मार्क ई एवं मार्क एफ दिया गया था। बाद कार्यवाही, वह मय अभियुक्त के थाने पर आया था और थाने पर, माल जमा मालखाना करवाया था और अभियुक्त को बंद हवालात करवाया था। गवाह द्वारा, प्रकरण में तैयार फर्द बरामदगी एवं जप्ती प्रदर्श पी. 01, फर्द बरामदगीस्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी. 02 की ताईद की गयी है। गवाह द्वारा, प्रकरण में मालखाना रजिस्टर की

प्रमाणित प्रति प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गयी। गवाह द्वारा, अभियुक्त का आपराधिक रिकॉर्ड प्राप्त कर, शामिल पत्रावली किया गया था। गवाह द्वारा, प्रकरण में जप्तशुदा माल को, न्यायालय के आदेश से, फरियादी मोहम्मद इकबाल को सुपुर्द किया गया था। गवाह द्वारा, संपूर्ण अनुसंधान से अभियुक्त सुरेंद्र उर्फ भूरिया के विरूद्ध, अंतर्गत धारा 457, 380 भारतीय दंड संहिता का अपराध प्रमाणित पाया गया।

दौराने जिरह गवाह ने इस तथ्य का खंडन किया है कि उसने, नक्शा मौका थाने पर बैठकर बनाया हो।

16. प्रकरण में अभियोजन द्वारा परीक्षित गवाहान पी.ड. 01 लक्ष्मीनारायण एवं पी.ड. 06 बदन सिंह, जो कि तत्समय पुलिस थाना अंता में कानिस्टेबल के पद पर कार्यरत थे, के द्वारा हस्तगत प्रकरण में, अनुसंधान अधिकारी गवाह पी.ड. 07 भगवान सिंह, द्वारा की गयी जप्ती एवं बरामदगी कार्यवाही की ताईद करते हुये, अभियुक्त द्वारा दी गयी इत्तला एवं उक्त इत्तला के आधार पर, हुयी बरामदगी के तथ्यों की भी ताईद की गयी है। साथ ही गवाहान द्वारा, निम्न फर्दात जैसे – प्रकरण में तैयार, फर्द बरामदगी एवं जप्ती प्रदर्श पी. 01, फर्द बरामदगीस्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी. 02 है, जिसकी ताईद गवाह द्वारा की गयी है। साथ ही गवाह पी.ड. 06 बदन सिंह द्वारा, प्रकरण में अभियुक्त की फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी. 07 की भी ताईद की गयी है।

17. प्रकरण में अभियोजन द्वारा, प्रकरण के मालखाना प्रभारी गवाह दीवान सिंह को पी.ड. 05 के रूप में न्यायालय समक्ष परीक्षित कराया गया है, जहां कि, गवाह ने न्यायालय समक्ष कथन किया है कि वह, दिनांक 03.06.2021 को पुलिस थाना अंता में हैड कानिस्टेबल के पद पर कार्यरत था और मालखाने का प्रभार, उसके पास था। उस दिन, मुकदमा नंबर 228/2021, अंतर्गत धारा 457, 380 भारतीय दंड संहिता में, अनुसंधान अधिकारी, भगवान सिंह, उप निरीक्षक ने, अभियुक्त सुरेन्द्र धाकड़ से कट्टे शील्डशुदा, जिसमें सोयाबीन भरी हुई थी और इन कट्टों को जप्त कर, मालखाना में जमा करवाये थे, जिस पर, उसके द्वारा मालखाना रजिस्टर क्रमांक 890/176/21 पर इन्द्राज कर जमा मालखाना किया गया था। गवाह ने, दिनांक 24.06.2021 को न्यायालय के आदेश क्रमांक 345 दिनांक 10.06.2021 की पालना में, सुपुर्दगी के कट्टों को मोहम्मद इकबाल को संभलाया था। गवाह द्वारा, असल मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी. 06 एवं जिसकी प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी. 06ए है, की ताईद की गयी है।

दौराने जिरह गवाह ने कथन किया है कि कट्टे पारदर्शी नहीं थे। कट्टे शील्डशुदा थे, जिन पर चिट लगा हुआ था, जिस पर सोयाबीन के बारे में लिखा हुआ था।

18. उपरोक्त वर्णित समस्त गवाहान के बयानों के प्रकाश में, अभियोजन द्वारा न्यायालय से यह निवेदन किया जा रहा है कि प्रकरण में आहत एवं अन्य हितबद्ध महत्वपूर्ण गवाहान द्वारा, न्यायालय समक्ष, संपूर्ण घटना की पूर्णतया ताईद की गयी है। प्रकरण में, अभियोजन वृतांत में वर्णित घटना पूर्णतया प्रमाणित है तथा अभियुक्त के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 457, 380 भारतीय दंड संहिता भी प्रमाणित है। वहीं, अभियुक्त पक्ष द्वारा, संपूर्ण घटना का खंडन करते हुये, न्यायालय से आग्रह किया गया है कि हस्तगत प्रकरण में, अभियुक्त पक्ष को झूठा फॅसाया गया है। प्रकरण में, अभियुक्त पक्ष द्वारा, उक्त इत्तला एवं उक्त इत्तला के आधार पर, हुयी बरामदगी का खंडन करते हुये, न्यायालय से

निवेदन किया गया है कि बरामदगी, किसी भी स्वतंत्र गवाह के समक्ष नहीं हुयी है। बरामद वस्तु की पहचान संदिग्ध है। अतः अभियोजन वृतांत पर, अवलंब लिया जाकर, अभियुक्त को दोषी नहीं माना जा सकता है।

19. हस्तगत प्रकरण में, यदि परिवादी गवाह पी.ड. 02 मोहम्मद इकबाल के बयानों का अवलोकन करें तो परिवादी गवाह ने न्यायालय समक्ष, अभियुक्त सुरेंद्र के विरूद्ध व्यक्तिशः आक्षेप लगाते हुये न्यायालय समक्ष यह स्पष्ट कथन किया है कि **'उसने, अपने गोदाम में सी.सी.टी.वी. कैमरे लगवाये थे, जो कि उसके मोबाईल से कनेक्टेड था। उसने समय तीन–चार बजे के आसपास, गोदाम में एक व्यक्ति को कूदकर पहुॅंचते हुये देखा था। उस व्यक्ति से, नाम पूछने पर, उसने अपना नाम सुरेंद्र बताया था।'**

20. प्रकरण में परिवादी के बयानों का समर्थन, गवाहान पी.ड. 01 लक्ष्मीनारायण एवं पी.ड. 06 बदन सिंह द्वारा किया गया है। इसके पश्चात्, परिवादी के अनुसार, अभियुक्त सुरेंद्र को मौके पर ही पकड़ लिया गया था। प्रकरण में अभियोजन द्वारा, अभियुक्त के विरूद्ध अपराध का आधार, मुख्यतः अभियुक्त की घटनास्थल पर उपस्थिति एवं अभियुक्त द्वारा दी गयी इत्तला एवं उक्त इत्तला के आधार पर, हुयी बरामदगी को बनाया गया है।

21. हस्तगत प्रकरण में, अभियुक्त सुरेंद्र द्वारा दौराने अनुसंधान, अनुसंधान अधिकारी गवाह पी.ड. 07 भगवान सिंह को निम्न इत्तला दी गयी थी कि ''मैनें सोयाबीन के छः कट्टे बमोरी वाली खाल के किनारे, झाड़ियों में छिपाकर रख रखे, जिसको मैं आगे चलकर बता सकता हूॅं।'' उक्त इत्तला प्रदर्श पी. 08 की ताईद, स्वयं अनुसंधान अधिकारी गवाह पी.ड. 07 भगवान सिंह द्वारा की गयी है।

22. हस्तगत प्रकरण में, उक्त इत्तला के आधारस्वरूप, अभियुक्त सुरेंद्र उर्फ भूरिया ने अनुसंधान अधिकारी भगवान सिंह मय लक्ष्मीनारायण, कानिस्टेबल एवं बदन सिंह, कानिस्टेबल के साथ जाकर, बमोरी वाली खाल के किनारे की झाड़ियों में से, सोयाबीन के छः कट्टे बरामद कराये थे। इस संबंध में तैयार, फर्द जप्ती एवं बरामदगी प्रदर्श पी. 01 एवं फर्द नक्शा मौका बरामदगीस्थल प्रदर्श पी. 02 की ताईद, गवाहान पी.ड. 07 भगवान सिंह, पी.ड. 01 लक्ष्मीनारायण एवं पी.ड. 06 बदन सिंह द्वारा की गयी है। इस संबंध में, प्रकरण में तैयार, फर्द जप्ती एवं बरामदगी प्रदर्श पी. 01 का अवलोकन करें तो उक्त फर्द जप्ती एवं बरामदगी प्रदर्श पी. 01, 06 कट्टे के संबंध में है, जिनके हुलिये का विवरण निम्नानुसार है – 'उक्त कट्टों को खोलकर देखा तो सभी में सोयाबीन भरी हुयी, मुॅंह सूतली से बॅंधा हुआ था। प्रत्येक कट्टे पर हरे रंग से AAA लिखा हुआ है।'

23. विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि अभियुक्त की इत्तला पर, हुयी बरामदगी, उसके द्वारा दी गयी इत्तला के तथ्य को पुष्टि प्रदान करती है। धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत, किसी तथ्य के आधार पर, हुयी बरामदगी को अभियुक्त के विरूद्ध तभी पढ़ा जा सकता है, जब अभियोजन यह सिद्ध करें कि उक्त तथ्य की जानकारी, मात्र अभियुक्त के संज्ञान में ही थी।

24. यह कि यदि फर्द जप्ती एवं बरामदगी प्रदर्श पी. 01 का अवलोकन करें तो उक्त बरामदगी, झाड़ियों में से हुयी है, जिसका अभिगमन, अभियुक्त के अतिरिक्त, किसी अन्य व्यक्ति को नहीं हो सकता था। यदि तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी. 03 का अवलोकन करें तो परिवादी ने, चुरायी हुयी संपत्ति का विवरण देते

हुये यह स्पष्ट कथन किया है कि 'उसके सभी कट्टों पर हरे रंग से AAA लिखा हुआ था।' यह कि अभियुक्त की इत्तला पर, बरामद कट्टे के संबंध में तैयार, फर्द जप्ती एवं बरामदगी प्रदर्श पी. 01 का अवलोकन करें तो **'अभियुक्त की इत्तला पर, बरामद प्रत्येक कट्टे पर हरे रंग से AAA लिखा हुआ था, ऐसे में, यह निष्कर्ष लिया जा सकता है कि अभियुक्त की इत्तला पर बरामद कट्टे, चुरायी हुयी संपत्ति ही है।'**

25. हस्तगत प्रकरण में, अभियोजन, अभियुक्त सुरेंद्र उर्फ भूरिया की इत्तला पर, उसके आधिपत्य से प्रकरण के माल मसरूका की बरामदगी के तथ्य को प्रमाणित करने में पूर्णतया सफल रहा है। यह कि यह भार अभियुक्त पक्ष पर था कि वह यह सिद्ध करें कि उसके आधिपत्य में चुरायी हुयी संपत्ति (सोयाबीन के कट्टे) किस प्रकार आया, परंतु इस संबंध में, उसके द्वारा कोई भी साक्ष्य, न्यायालय समक्ष पेश नहीं की गयी है। जब किसी व्यक्ति से चुरायी हुयी संपत्ति की बरामदगी होती है, तब यह उपधारणा ली जा सकती है कि उस व्यक्ति द्वारा ही चोरी कारित की गयी थी। इस संबंध में, **भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 का दृष्टांत (क) सुसंगत है, जहां कि यह प्रदत्त है कि ' कि चुराये हुये माल पर, जिस मनुष्य का, चोरी के शीघ्र उपरांत कब्जा है, जब तक कि वह अपने कब्जे का कारण ना बता सकें, या तो वह चोर है या उसने माल को चुराया हुआ जानते हुये प्राप्त किया है। '**

26. उपरोक्त विधिक प्रावधान के अनुसरण में, अभियोजन, अभियुक्त सुरेंद्र उर्फ भूरिया द्वारा दी गयी इत्तला पर, उसके आधिपत्य से चुरायी हुयी संपत्ति का बरामद होना, हस्तगत प्रकरण में, अभियुक्त की संलिप्तता को उजागर करता है। हस्तगत प्रकरण में, चोरी की घटना दिनांक 30.05.2021 की है एवं अभियुक्ता से हुयी बरामदगी दिनांक 03.06.2021 की है। अतः ऐसे में, हस्तगत प्रकरण में, घटना एवं बरामदगी की समयावधि को देखते हुये, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के दृष्टांत (क) के अनुसरण में यह उपधारणा ली जा सकती है कि अभियुक्त द्वारा ही अभियोजन वृतांत में वर्णित चोरी की घटना, कारित की गयी थी।

27. उपरोक्त विधिक प्रावधान के अनुसरण में, यदि हस्तगत पत्रावली का अवलोकन करें तो हस्तगत प्रकरण में, अभियोजन, परिवादी मोहम्मद इकबाल के बारां कोटा रोड स्थित सहकारी पैट्रोल पम्प के पास, गोदाम में, अभियुक्त द्वारा अनाधिकृत रूप से गृह अतिचार कर, परिवादी के आधिपत्य से आठ सोयाबीन के कट्टे के चोरी के तथ्य को प्रमाणित करने में सफल रहा है। इसके पश्चात्, अभियोजन, घटनास्थल पर, अभियुक्त सुरेंद्र उर्फ भूरिया की उपस्थिति, अभियुक्त सुरेंद्र उर्फ भूरिया की इत्तला पर, बरामद परिवादी मोहम्मद इकबाल के आधिपत्य से चुराये हुये सोयाबीन के कट्टों में से छः कट्टे, अभियुक्त की इत्तला पर, बरामदगी के तथ्य को प्रमाणित करने में भी पूर्णतया सफल रहा है। अतः ऐसे में, अभियुक्त सुरेंद्र उर्फ भूरिया को अंतर्गत धारा 457, 380 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में दोषी माना जा सकता है।

28. इस प्रकार, उपरोक्त विवेचनानुसार एवं उपरोक्त गवाहान के समग्र अध्ययन, अवलोकन तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि अभियोजन पक्ष, अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 457, 380 भारतीय दंड संहिता के अपराध को संदेह से परे

प्रमाणित करने में पूर्णतया सफल रहा है। अतः अभियुक्त सुरेंद्र उर्फ भूरिया को उसके विरूद्ध आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 457, 380 भारतीय दंड संहिता में दोषी घोषित किया जाता है।

(सिद्धांत शर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंता, जिला बारां (राज.)

दण्ड के प्रश्न पर –

29. दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। अभियुक्त के अधिवक्ता का इस आशय का निवेदन रहा है कि वह करीब पॉच वर्षों से प्रकरण की अंवीक्षा भुगत रहा है। वह अपने परिवार का अकेला भरण पोषण करने वाला व्यक्ति हैं। अभियुक्त 29 वर्ष का नवयुवक है। अभियुक्त लगभग 325 दिनों से न्यायिक अभिरक्षा में है। इसलिये यदि उसे कारावासीय दण्ड से दण्डित किया जाता है तो इससे उसके परिवार के समक्ष भरण पोषण की समस्या उत्पन्न हो जायेगी। अतः अभियुक्त को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिये जाने का निवेदन किया। विद्वान अभियोजन अधिकारी ने, इसका विरोध करते हुये, अभियुक्त को पर्याप्त दंड से दंडित किये जाने का निवेदन किया।

30. उभय पक्ष को सुना गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। क्षेत्र में चोरी के मामलों में दिनोंदिन बढ़ोतरी हो रही है। अतः ऐसे मामलों में, यदि अभियुक्त के प्रति नरमी का रूख अपनाया गया तो समाज में गलत संदेश जायेगा एवं अपराधियों के हौसले बुलंद होंगे। अभियुक्त लगभग 325 दिनों से न्यायिक अभिरक्षा में है। अतः ऐसी दशा में, प्रकरण में वर्णित अपराध एवं अपराध की प्रकृति को, प्रकरण की अन्वीक्षा अवधि को तथा प्रकरण के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये, अभियुक्त को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ प्रदान नहीं किया जाकर, अभियुक्त को निम्नानुसार दण्डादिष्ट किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

:: दण्डादेश ::

31. अतः अभियुक्त सुरेंद्र उर्फ भूरिया पुत्र धनराज, आयु 29 वर्ष, निवासी मौजा जयनगर, अंता, तहसील अंता, पुलिस थाना अंता, जिला बारां राज. को उसके विरूद्ध सिद्धदोष अपराध अन्तर्गत धारा 457, 380 भारतीय दण्ड संहिता के तहत नौ माह का साधारण कारावास एवं 500 / –रूपये (अक्षरेः पॉच सौ रूपये मात्र) अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अदम अदायगी अर्थदंड, अभियुक्त दो दिवस का साधारण कारावास पृथक से भुगतेगा।

32. अभियुक्त का सजा वारंट बनाया जावें।

33. संपूर्ण अर्थदंड राशि पॉच सौ रूपये न्यायालय के राजकोष में जमा कराई जावें।

34. अभियुक्त को इस निर्णय की एक प्रति नियमानुसार निःशुल्क प्रदान की जावें।

(सिद्धांत शर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंता, जिला बारां (राज.)

35. अभियुक्त द्वारा प्रकरण के विचारण के दौरान पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा में बिताई गई अवधि को धारा–428 सी.आर.पी.सी. के तहत उसकी मूल सजा में से कम किया जाकर, समायोजित किया जावें।

36. अभियुक्त के पूर्व में पेश नियमित हाजरी बाबत् जमानत मुचलके निरस्त किये जाते है।

37. अभियुक्त को यह भी आदेश दिया जाता है कि वह अपील होने की सूरत में माननीय अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने हेतु धारा–437ए दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत 10,000–10,000/–रूपये के जमानत मुचलके न्यायालय समक्ष पेश कर तस्दीक करावें, जो कि बाद कराने तस्दीक छः माह तक प्रवर्तन में रहेंगे।

38. हस्तगत प्रकरण में, जप्तशुदा माल मसरूका (सोयाबीन के कट्टों) को न्यायालय द्वारा दिनांक 10.06.2021 को सुपुर्दगी पर दिया जा चुका है, जो सुपुर्ददार के पास बना रहें तथा बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार, सुपुर्दगीनामा एवं जमानतनामा निरस्त समझा जावें।

(सिद्धांत शर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंता, जिला बारां (राज.)

39. निर्णय आज दिनांक 06.05.2026 को मुझ अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर, हस्ताक्षरित कर खुले न्यायालय में सुनाया जाकर, न्यायालय मुद्रा से मुद्रांकित करवाया गया।

(सिद्धांत शर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंता, जिला बारां (राज.)